न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 98 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 मनीष चौहान पुत्र अमरचंद जाति जाति रावणा राजपुत निवासी सिंघवीयों का बास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 03/04/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी तहसीलदार सोजत अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के खसरा नंबर 2473 / 2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम में पहुंचने के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से होकर नया मार्ग अपनी खातेदारी खसरा नंबर 2473 / 2275 में जाने हेतु आशय रखता है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत आवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' पेश किया है। जिसमें प्रार्थी के खसरा नंबर 2473 / 2275 जिसे आसमानी रंग से दर्शाया गया है, में पहुंचने हेतु अप्रार्थी के खसरा नंबर 2274 में से रास्ता को अ, ब, स, द लाल रंग से दर्शाया है, प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, गाड़ी, छकड़ा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम धाकड़ी के खसरा नंबर 2473 / 2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु सरकारी राजकीय सिवायचक भूमि सरहद मौजा धाकड़ी में स्थित भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से नया मार्ग दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है.।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सुरायता, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज बजड़ भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 2274 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के खसरा नंबर 2473/2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम में पहुंचने के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में से (205396/– रू0 × 2 × 0.0018 है0 =739/– रूपये) प्रतिकर देय राशि का भुगतान तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। नजरी नक्शा इस आदेश का आवश्यक भाग रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (पाली)

व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/04/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)